इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जनवरी 2011—पौष 30, शक 1932

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2011

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—यतः, राज्य सरकार की राय में मंडी समितियों का निर्वाचन रबी की बुआई, प्रदेश में व्याप्त शीत लहर तथा इससे फसलों पर पाले का प्रभाव एवं मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य प्रचलन में रहने के कारण नियत समय में कराना संभव नहीं है,

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा वर्तमान निर्वाचित मंडी समितियों की अवधि में अधिसूचना क्रमांक-377, दिनांक 20 जुलाई, 2010 से बढ़ाये गये कार्यकाल के समाप्त होने की तारीख से छः मास की अवधि के लिए या मंडी समितियों के नये निर्वाचन होने तक, जो भी पूर्वतर हो वृद्धि करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2011

क्र. डी-5-56-04-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 20th January 2011

D-5-56-04-XIV-3.—WHEREAS, in the opinion of the State Government it is not possible to hold the elections of the Market Committees in the stipulated time due to sowing of Rabi crops, cold wave in the state, frost impact on the crops and revision in the voters list.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by proviso to sub- section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972, (No. 24 of 1973), the State Government hereby extend the term of the present elected Mandi Committees, from the date of expiry of the present term extended by the Notification No. 377 dated 20th July, 2010, for a period of another six months and or till the new elections of the Market Committees, which ever is earlier.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.